[illegible] बनाम ग्राम पंचायत [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

अपील नं० [illegible] 2/2017

05-01-23

वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत अरणियां से जाँच रिपोर्ट दिनांकित 02-01-2023 को पेश की, जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते आगामी कार्यवाही पत्रावली दिनांक 23-1-2023 को पेश हो।

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

23.01.2023

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। शेष रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 3 की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी है। बावजूद रजिस्टर्ड डाक तामील के हाजिर अदालत नही आने पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बन्द की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डरटेंकिग दिये जाने की 9 तारीख पेशियों के उपरान्त भी वकालतनामा पेश नहीं किये जाने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं करने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में सरंपच ग्राम पंचायत अरणियां से चाही गई जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक दिनांक 02.01.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.02.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.26 15:32:02 IST
Reason: SelfAttested

17.02.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया

— लगातार —

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	बंशीधर बनाम ग्राम पंचायत मऊ ... अपील नं. कृषि - 2/2022	

जाकर रेस्पोडेण्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.1975 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/04/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.26 15:32:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02/2022	2022/033	01.02.2022	17.02.2023

उनवान प्रकरण

1. बंशीधर पुत्र खांगा उम्र 69 साल
2. सुरजमल पुत्र खांगा उम्र 81 साल

समस्त जाति यादव अहीर निवासी ढाणी बन्यावाली ग्राम कृष्णनगर महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—प्रार्थीगण/अपीलान्ट—

बनाम्

1. सरपंच ग्राम पंचायत महरोली पं0 सं0 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
2. मोहनलाल पुत्र परसाराम जाति यादव अहीर निवासी ढाणी बन्यावाली ग्राम कृष्णनगर महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
4. मैनेजर, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरोली।

—रेस्पोडेन्ट्स—

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :–

श्री अनिल यादव, एड0 प्रार्थीगण/अपीलान्ट अभिभाषक।

श्री रामावतार सैनी प्रथम, एड0 रेस्पोडेण्ट संख्या 2 (जवाब देही बन्द)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण निर्णय दिनांक 16.04.75 सरपंच ग्राम पंचायत महरोली पंचायत समिति श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 बाबत नामान्तकरण संख्या–434 दिनांक 16.04.1975 ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.26 15:32:02 IST
Reason: SelfAttested

17.02.23
दिलीप सिं
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेन्टस् के इस आशय से प्रस्तुत की है कि ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 380, 381, 382, 383, 388, 389 कुल किता 6 कुल रकबा 2.2300 है0 में आवस्थित है। जिसके पुराने ख0न0 164, 160, 159 तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अपील की खातेदारी जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय खांगा पुत्र हुक्मा के नाम दर्ज चली आ रही थी। जिस पर खांगा पुत्र हुक्मा अकेला खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चला आ रहा था एवं उसकी मृत्यु उपरान्त अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा की खातेदारी कतई गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या-2 के पिता स्वर्गीय परसाराम को गलत रूप खांगा का पुत्र बताकर नामान्तकरण संख्या-434 का निर्णय दिनांक 16.04.1975 अवैधानिक तरीके से पारित करते हुये दर्ज कर दी गयी एवं बाद में उक्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने स्वर्गीय परसाराम के स्थान पर विरासत नामान्तकरण संख्या -209/5.6.92 को अपने नाम गलत रूप से दर्ज करवा ली गयी एवं भूमि को गलत रूप से बैंक के रहन रखकर भाररस्त की गयी है। जबकि यहां यह महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है कि परसाराम वास्तविक रूप से पन्ना का पुत्र था एवं परसा पुत्र पन्ना ग्राम महरोली के पुराने भूमि ख0 न0 273 रकबा 8 बिघा 17 बिस्वा जिसके पुराने भूमि ख0 न0 1475, 1476, 1477 है। उसमें 1/3 हिस्सा का जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 में खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है एवं यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तकरण संख्या- 641 दिनांक 23.05.1981 ग्राम महरोली की भूमि 64 क्षैत्रफल 6 बीघा 12 बिस्वा में मृतक [illegible] पुत्र [illegible]खमा आहीर हिस्सा 1/2 के स्थान पर अपीलार्थीगण क्रमशः [illegible] ही स्वीकार किया हुआ है। इसलिए नामान्तकरण संख्या- 434 का निर्णय दिनांक 16.04.75 जो रेस्पोडेन्ट संख्या-1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.26 15:32:02 IST
Reason: SelfAttested

12/04/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सरपंच ग्राम पंचायत महरोली द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या– 2 के पिता स्वर्गीय परसाराम पुत्र पन्ना को गलत रूप से खांगा पुत्र हुक्मा का पुत्र बताकर स्वीकार किये जाने की गंभीर भूल की है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का निर्णय दिनांक 16.04.1975 अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के भोले भाले व्यक्ति है। जिनको रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा पारित किये गये नामान्तकरण संख्या–434 के निर्णय दिनांक 16.4.75 की कोई जानकारी नही हो सकी परन्तु पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल दिनांक 18.01.2022 को ली तो उक्त भूमि में गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या– 2 का नाम जमाबंदी में अंकित होना पाया तो नामान्तकरण संख्या – 434 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.1.2022 को निकलवायी एवं अन्य दस्तावेजात पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयों एवं मिला क्षैत्रफल एवं नामान्तकरण आदि की नकल निकलवायी तो जानकारी हुयी है, इसलिए जानकारी होते ही अपील हाजा बिना किसी देरी के जानकारी से अन्दर मियाद प्रसतुत की गयी है एवं जानकारी के अभाव में जो देरी हुयी है उसे माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सरपंच ग्राम पंचायत महरोली का निर्णय दिनांक 16.04.1975 बाबत नामान्तकरण संख्या–434 ग्राम महरोली जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पिता स्वर्गीय परसाराम पुत्र पन्ना को गलत रूप से अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय खांगा पुत्र हुक्मा का पुत्र बताकर स्वीकार किये जाने बाबत फरमाया गया है को अपास्त फरमाया जाकर कृषि भूमि ख0न0 380, 381, 382, 383, 388, 389 कुल किता–6 कुल रकबा 2.2300 है0 तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी में दर्ज 1/3 हिस्सा से रेस्पोडेन्ट संख्या – 2 एवं 4 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अकेले अपीलार्थीगण के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज की जाकर दुरूस्त ... के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने की निवेदन ... अपने अपील नामान्तकरण में की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.26 15:32:02 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टस् को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर रेस्पोडेण्टस संख्या 2 की ओर से श्री रामावतार सैनी–1 एड0 ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेण्टस संख्या–4 की ओर से श्री अमर शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डरटेंकिग पेश की। शेष प्रतिवादीगण की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से हुई। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बन्द की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की ओर से वकालतनामा हेतु अण्डरटेंकिग पेश किये जाने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से अपील में दर्ज तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली जाने पर उनके द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत अरणियां से रिपोर्ट ली जाने बाबत लिखा गया। जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत अरणियां से वारिसों के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। जिस पर सरंपच ग्राम पंचायत अरणियां ने जरिये पत्रांक दिनांक 02.01.2023 के द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक/जयपुर/ 2019/80 दिनांक 30.09.2019 व पंचायत राज अधिनियम 1994 व 1996 में परिवार में मुखिया की मौत होने पर कुर्सीनामा/वारिसनामा एंव उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का ग्राम पंचायतों के पास कोई प्रावधान नहीं होने बाबत रिपोर्ट प्रेषित की है। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्टस् संख्या 1 के द्वारा वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की जवाबदेही बन्द हो जाने तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 लगायत 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमारे वकील अपीलान्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.26 15:32:02 IST
Reason: SelfAttested

17/04/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2024–2027, 2028–2031, 2048–2051, 2074–2077, नामान्तकरण संख्या 434 व 641, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, सरपंच ग्राम पंचायत महरोली द्वारा प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् के पूर्वज खांगा पुत्र हुक्मा के नाम से खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें खांगा पुत्र हुक्मा की मृत्यु होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 434 निर्णय दिनांक 16.04.1975 के द्वारा विरासत के खाता में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पिता स्वर्गीय परसाराम को गलत रूप से खांगा का पुत्र बताकर नामान्तकरण दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा नामान्तकरण संख्या 641 के द्वारा खांगा के फौत होने पर विरासत के नामान्तकरण में पूरणमल, बशींधर पिता खांगा हिस्सा 1/2 का नामान्तकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत महरोली से खांगा के वारिसों के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली जाने पर सरपंच ग्राम पंचायत महरोली ने उक्त जानकारी सरपंच ग्राम पंचायत अरणियां से लिये जाने के सम्बन्ध में लिखे जाने पर सरपंच ग्राम पंचायत अरणियां से जानकारी ली गई। जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत अरणियां ने जरिये पत्रांक दिनांक 02.01.2023 के द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक/जयपुर/ 2019/80 दिनांक 30.09.2019 व पंचायत राज अधिनियम 1994 व 1996 में परिवार में मुखिया की मौत होने [illegible] /वंशावली एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का [illegible] नहीं होने बाबत अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसके आधार पर [illegible] नहीं हो पा रहा है कि परसाराम के पिता का नाम पन्ना था या खांगा था। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील नामान्तकरण

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.26 15:32:02 IST
Reason: SelfAttested

मे चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाती है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत महरोली पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 434 स्वीकृत नामान्तकरण दिनांक 16.04.1975 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.26 15:32:02 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)